न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी कामाँ (डीग)

पीठासीन अधिकारी संदीप चौधरी आर0ए0एस0

मुकदमा नं0 33 / 2023

01. रोहिताश शर्मा पुत्र स्व0 श्री हरी उर्फ हरीराम जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम जुरहरा तहसील जुरहरा जिला डीग राजस्थान।

02. चिरन्जी } पिसरान हरी उर्फ हरीराम जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम जुरहरा तहसील
03. महेश } जुरहरा जिला डीग राजस्थान।

04. चन्दर देवी पुत्री हरी उर्फ हरीराम जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम जुरहरा तहसील जुरहरा जिला डीग राजस्थान।

प्रार्थीगण.....

बनाम

01. राजस्थान सरकार जरिये श्रीमान तहसीलदार साहब तहसील कामां जिला डीग राजस्थान।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–136
भू–राजस्व अधिनियम–1956

उपस्थित :– श्री विष्णु कुमार शर्मा, वकील प्रार्थीगण।

उपखण्ड मजिस्ट्रेट एवं उपखण्ड अधिकारी कामाँ (डीग)

निर्णय

दिनांक :– 10 / 02 / 2025

प्रार्थीगण द्वारा यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा –136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 के तहत विरूद्ध अप्रार्थी इस आशय का पेश किया है कि आराजी खसरा नम्बर 2016 / 1.14 हैक्टेयर बांके ग्राम जुरहरा– द्वितीय उप तहसील जुरहरा तहसील कामां हाल तहसील जुरहरा में स्थित है। सबूत में नकल जमाबन्दी हाल पेश है। आराजी खसरा नम्बर 2016 / 1.14 हैक्टेयर के 16 / 114 हिस्सा को प्रार्थी की मां स्व0 भगवानदेई पत्नी हरी उर्फ हरीराम ने जरिये वयनामा दिनांक 17.05.2004 को पवन कुमार पुत्र रामजीलाल वैश्य से क्रय कर कब्जा प्राप्त किया था जिसका इंतकाल नम्बर 210 दिनांक 05.06.2004 खोला जाकर तत्कालीन जमाबन्दी संवत् 2057 से 2060 के कॉलम नम्बर 17 में दर्ज किया गया सबूत में संवत् 2057 से 2060 की प्रमाणित जमाबन्दी पेश है। जब प्रार्थी की मां का स्वर्गवास होने पर हाल जमाबन्दी की नकल प्राप्त की तो प्रार्थी को जानकारी हुई कि संवत् 2074 से 2077 की जमाबन्दी बनाते समय प्रार्थी की माता की जाति ब्राह्मण के स्थान पर जाट दर्ज कर दिया है जो अशुद्व है जबकि मुताबिक जमाबन्दी संवत् 2057 से 2060 खसरा नम्बर 2016 में से प्रार्थी की माता के नाम की ही दूसरी महिला भगवाई पत्नी हरीसिंह जाति जाट ने भी 16 / 114 हिस्सा खरीदा था जिसके अनुसार दोनों का ही नाम हाल जमाबन्दी में आना चाहिए था परंतु हल्का पटवारी द्वारा प्रार्थी की माता की जाति बदलकर दूसरी महिला का नाम बदस्तूर रख दिया और प्रार्थी की माता का नाम राजस्व रिकॉर्ड में से हटा दिया है। वर्तमान खसरा नम्बर 2016 / 1.14 जुरहरा द्वितीय से हाल नम्बर 717 / 1.14 बना है जिसमें प्रार्थी की माता का नाम व हिस्सा दर्ज नहीं किया गया है जो एक अशुद्व दस्तावेज है एवं दाखिल खारिज नं0 1022 दिनांक 28.08.2015 भगवानदेई पत्नी हरीसिंह जाति जाट के नाम काटकर कर दिया गया है जो कतई गलत है जबकि दोनों भगवानदेई अलग–अलग भगवानदेई पत्नी हरी उर्फ हरीराम जाति ब्राह्मण एवं भगवानदेई पत्नी हरीसिंह जाति जाट है जबकि दोनों का हिस्सा समान था जो भगवानदेई पत्नी हरीराम का हिस्सा हरी उर्फ

उपखण्ड अधिकारी
कामाँ (डीग) राज0

हरीराम जाति ब्राह्मण का हिस्सा काटकर भगवानदेई पत्नी हरीसिंह जाति जाट के नाम कतई गलत किया गया है जो काबिले शुद्धि के है। सबूत में नकल जमाबन्दी संवत् 2057 से 2060, 2061 से 2064, 2065 से 2068, 2069 से 2072 एवं दाखिल खारिज नं0 210 एवं 1022 तथा हाल जमाबन्दी 2074 से 2077, मिलान क्षेत्रफल व प्रार्थी के माता–पिता के मृत्यु प्रमाण पत्र वयनामा की फोटो प्रति तथा प्रार्थी की और से शपथ पत्र पेश है। अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड शुद्ध करते हुए प्रार्थी की माता भगवानदेई हरी उर्फ हरिराम जाति ब्राह्मण का 16/114 हिस्सा एवं भगवानदेई पत्नी हरीसिंह जाति जाट का 16/114 हिस्सा दर्ज होना चाहिए था जबकि हाल जमाबन्दी आराजी खसरा नम्बर 717/1.14 में भगवानदेई पत्नी हरीसिंह जाति जाट के 4/19 हिस्से में प्रार्थियान की माता भगवानदेई पत्नी हरी उर्फ हरीराम जाति ब्राह्मण निवासी जुरहरा को पूर्व वयनामा के आधार पर एवं दाखिल खारिज संख्या 210 के आधार पर प्रार्थीयान की माता को 16/114 हिस्सा शुद्ध किये जाने के आदेश प्रदान करें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया अप्रार्थी तहसीलदार जुरहरा द्वारा उक्त प्रकरण में वर्णित आराजी के संबंध में अपने पत्र क्रमांकः–रीडर/024/345 दिनांक 02.07.2024 से आराजी खसरा नम्बर 2016/1.14 हैक्टेयर रामजीलाल पुत्र सुन्दरी लाल जाति वैश्य सा0 देह खातेदार के नाम दर्ज रिकॉर्ड था विरासतन ना.स. 79/19/10/01 से उक्त भूमि आराजी खसरा नम्बर 2016 रामजीलाल के स्थान पर पवन कुमार पुत्र रामजीलाल, आमोली देवी पत्नी रामजीलाल, विमला देवी, मुकमाला देवी, बसन्त माला पुत्रीयान रामजीलाल बा.हि बराबर जाति वैश्य सा0 देह खातेदार के नाम दर्ज रिकॉर्ड हुआ था। ई0न0 119 हमत्याग दिनांक 20.06.2002 से उक्त भूमि अमोली, विमला देवी मुकमाला देवी, बसंतलाल हिस्सा ब0 4/5 के स्थान पर पवन कुमार पुत्र रामजीलाल 4/5 जाति वैश्य सा0 देह खातेदार दर्ज स्वीकार हुआ। बाद हकत्याग के ई0न0 152/05/07/03 वयनामा से आराजी खसरा नम्बर 2016/1.14 हैक्टेयर पवन कुमार पुत्र रामजीलाल के स्थान पर प्रेमवती पत्नी श्यामलाल ही. 59/144 जाति ब्रा. सा. देह खातेदार के नाम दर्ज स्वीकार हुआ। खसरा नम्बर 2016/1.14 ई.न. 207 दिनांक 05.06.2004 वयनामा से पवन कुमार के स्थान पर प्रेमवती पत्नी श्यामलाल हि. 7/114 जाति ब्रा. सा. देह खातेदार दर्ज स्वीकार हुआ व उक्त खसरा नम्बर में ही ना. सं. 210/05/06/04 वय. से पवन कुमार के स्थान पर भगवानदेई पत्नी हरिसिंह हि. 16/114 राजेश्वरी पत्नी गोविन्दराम हि. 16/114 जाति जाट तथा भगवानदेई पत्नी हरी हि. 16/114 कौम ब्रा. सा. देह खातेदार स्वीकार हुआ। इस प्रकार पवन कुमार पुत्र रामजीलाल द्वारा उक्तानुसार आराजी खसरा नम्बर 2016/1.14 हैक्टेयर को प्रेमवती पत्नी श्यामलाल हि0 66/114 जाति ब्रा. भगवानदेई पत्नी हरी हि. 16/114 जाति ब्रा. राजेश्वरी पत्नी गोविन्दराम 16/114 भगवानदेई हरिसिंह हि. 16/114 जाति जाट सा. देह खातेदार को वयनामा कर दिया था। मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड जमा. सं. 2065–68 में नामा. सं. 210/05/6/04 वयनामा का अमल करते समय भगवानदेई पत्नी हरि हि. 16/114 जाति ब्रा0 सा. देह खातेदार का नाम अमल होने से शेष रह गया तथा रोटेशन जमाबन्दी संवत् 2069–72 बनाते समय में भी भगवानदेई पत्नी हरी हि0 16/114 का नाम अमल नहीं किया गया है। सेटलमेन्ट के बाद सेटलमेंट विभाग द्वारा भी पुराना खसरा नम्बर 2016/1.14 से बना नवीन खसरा नम्बर 717/1.14 में से भी भगवानदेई पत्नी हरी हि0 16/114 का अमल होने से शेष रह गया तथा सेग्रीगेशन जमाबन्दी 2074–2077 बनाते समय भी उक्त नाम अमल नहीं किया गया था। उक्त संबंध में श्रीमान जी से निवेदन है कि नवीन जमाबन्दी संवत् 2074–2074 में ना. सं. 210 दिनांक 05/06/04 वयनामा का अमल करते हुए प्रेमवती पत्नी श्यामलाल हि. 11/19 जाति ब्रा. भगवानदेई पत्नी हरिसिंह हि. 4/19 रामेश्वरी पत्नी

उपखण्ड अधिकारी
कामाँ (डीग) राज०

गोविन्दराम हि. 4/19 जाति जाट सा. देह खातेदार को शुद्व करते हुए प्रेमवती पत्नी श्यामलाल हि 11/19 जाति ब्राह्मण, भगवानदेई पत्नी हरि हि0 8/57 जाति ब्रा0 व भगवान देई पत्नी हरिसिंह हि 8/57 जाति जाट, रामेश्वरी पत्नी गोविन्दराम हि 8/57 जाति जाट सा0 देह खातेदारान को शुद्वि की जानी की अभिशंषा की जाती है।

प्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गई तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया जाकर मनन किया गया। प्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया कि मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड शुद्व करते हुए प्रार्थी की माता भगवानदेई हरी उर्फ हरिराम जाति ब्राह्मण का 16/114 हिस्सा एवं भगवानदेई पत्नी हरीसिंह जाति जाट का 16/114 हिस्सा दर्ज होना चाहिए था जबकि हाल जमाबन्दी आराजी खसरा नम्बर 717/1.14 में भगवानदेई पत्नी हरीसिंह जाति जाट के 4/19 हिस्से में प्रार्थियान की माता भगवानदेई पत्नी हरी उर्फ हरीराम जाति ब्राह्मण निवासी जुरहरा को पूर्व वयनामा के आधार पर एवं दाखिल खारिज संख्या 210 के आधार पर प्रार्थीयान की माता को 16/114 हिस्सा शुद्व किये जाने के आदेश प्रदान किये जाने हेतु निवेदन किया गया तथा तहसीलदार जुरहरा से प्राप्त मौका रिपोर्ट में पुराना खसरा नम्बर 2016/1.14 से बना नवीन खसरा नम्बर 717/1.14 में से भी भगवानदेई पत्नी हरी हि0 16/114 का अमल होने से शेष रह गया तथा सेग्रीगेशन जमाबन्दी 2074–2077 बनाते समय भी उक्त नाम अमल नहीं किया गया था। उक्त संबंध में श्रीमान जी से निवेदन है कि नवीन जमाबन्दी संवत् 2074–2074 में ना. सं. 210 दिनांक 05/06/04 वयनामा का अमल करते हुए प्रेमवती पत्नी श्यामलाल हि. 11/19 जाति ब्रा. भगवानदेई पत्नी हरिसिंह हि. 4/19 रामेश्वरी पत्नी गोविन्दराम हि. 4/19 जाति जाट सा. देह खातेदार को शुद्व करते हुए प्रेमवती पत्नी श्यामलाल हि 11/19 जाति ब्राह्मण, भगवानदेई पत्नी हरि हि0 8/57 जाति ब्रा0 व भगवान देई पत्नी हरिसिंह हि 8/57 जाति जाट, रामेश्वरी पत्नी गोविन्दराम हि 8/57 जाति जाट सा0 देह खातेदारान को शुद्वि की जानी की अभिशंषा के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः आज्ञा है कि :–

प्रार्थना पत्र प्रार्थियान अन्तर्गत धारा–136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 को स्वीकार किया जाकर प्रेमवती पत्नी श्यामलाल हि 11/19 जाति ब्राह्मण, भगवानदेई पत्नी हरि हि0 8/57 जाति ब्रा0 व भगवान देई पत्नी हरिसिंह हि 8/57 जाति जाट, रामेश्वरी पत्नी गोविन्दराम हि 8/57 जाति जाट सा0 देह खातेदारान की शुद्वि किये जाने के आदेश दिये जाते है। तदानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल किये जाने हेतु निर्णय की एक प्रति तहसीलदार जुरहरा को प्रेषित की जावे।

निर्णय आज दिनांक 10/02/2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(संदीप चौधरी)
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
कामाँ जिला डीग राज0

उपखण्ड अधिकारी
कामाँ (डीग) राज0